प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 22.02.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

नवागत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा पत्रकार बन्धुओं से भेंट/परिचय वार्ता किया गया

आज दिनांक 22.02.2023 को नवागत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री नेपाल सिंह द्वारा "पुलिस लाइन सभागार" में प्रेस वार्ता आयोजित कर जनपद के पत्रकार बन्धुओं से भेंट/परिचय वार्ता की गई। इस दौरान महोदय द्वारा अपनी पूर्व की नियुक्तियों, अपनी कार्यप्रणाली तथा अपने विषय में पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया तथा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही एवं आम जनमानस के बीच पुलिस की मित्रवत छवि बनाना सहित अपनी प्राथमिकताओं से पत्रकार बन्धुओं को अवगत कराया गया तथा इस संबंध पत्रकार बंधुओं से सुझाव आमंत्रित किए गए एवं प्राप्त सुझावों पर प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने हेतु आश्वस्त किया गया।

<u>खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट करने वालें छात्रों की 03 कारों को एमवी एक्ट के अंतर्गत किया गया सीज; कुल 48,000 रुपये का शमन शुल्क किया गया अधिरोपित</u>

दिनांक 12.02.2023 को थाना थाना मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत यू0डी0 पब्लिक स्कूल, मोहम्मदी के इंटरमीडिएट में पढने वाले कुछ छात्रों का स्कूल में हुई फेयरवेल पार्टी के पश्चात कारों से खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए स्टंट करने का एक वीडियों सोशल मीडिया पर आज दिनांक 22.02.2023 को वायरल हुआ।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक यातायात पुलिस खीरी को वायरल वीडियों को ट्रेस करते हुए विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में जांच के दौरान उक्त प्रकरण थाना मोहम्मदी पर पाये जाने पर प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी मय हमराही उ0नि0 रूद्रप्रकाश पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 22.02.2023 को मोहम्मदी पुलिस द्वारा वायरल वीडियों में स्टंट करने वाले छात्रों की 03 कारों को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज करते हुए कुल 48,000 रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त को चोरी का प्रयास करते हुए अभियुक्त अंकित कुमार लोध पुत्र रामू को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.02.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा चोरी का प्रयास करते हुए अभियुक्त अंकित कुमार लोध पुत्र रामू निवासी ग्राम खइयां थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 63/2023 धारा 457/380/511 भादवि0 व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
अंकित कुमार लोध पुत्र रामू निवासी ग्राम खइयां थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
1. उ0नि0 सुरेश चन्द्र, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. हे0का0 उमेश प्रताप सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 37 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब की के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.02.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 02 अदद प्लास्टिक की पिपियों में 37 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया, जिनके सम्बन्ध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 61/2023 व 62/2023 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शुभम कुमार पुत्र अशरफी निवासीगण ग्राम भीखमपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. राजेश पुत्र शत्रोहन लाल निवासी ग्राम भीखमपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-

02 अदद प्लास्टिक की पिपियों में कुल 37 लीटर अवैध कच्ची शराब
शराब बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. हे0का0 दीपक कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
4. का0 दीपांशू, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
5. का0 गुरविन्दर सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी अभियुक्ता चन्द्रकली पत्नी रामसागर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.02.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता चन्द्रकली पत्नी रामसागर नि0ग्राम अटौहापुरवा थाना फरधान जनपद खीरी ST N0 663-18 राज्य प्रति चन्द्रकली अ0सं0 419/14 धारा 302 भादवि0 थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

चन्द्रकली पत्नी रामसागर नि0ग्राम अटौहापुरवा थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 संजीव तोमर, थाना फरधान
2. म0का0 प्रियंका तोमर

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त अमन वर्मा पुत्र स्व0 कीर्तिशरण वर्मा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.02.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/2023 धारा 306 भादवि0 में वांछित 01 नफर अभियुक्त अमन वर्मा पुत्र स्व0 कीर्तिशरण वर्मा नि0 अमानलाला थाना फरधान जनपद खीरी को रूकन्दीपुर चौराहा के पास से गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

अमन वर्मा पुत्र स्व0 कीर्तिशरण वर्मा नि0 अमानलाला थाना फरधान जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 संजीव तोमर, थाना फरधान
2. हे0का0 अरविन्द कुमार
3. का0 अनुपम पाण्डेय

थाना खीरी पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ उमेश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22.02.2023 को थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 71/2023 धारा 304बी भादवि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त सूरज उर्फ उमेश निवासी ग्राम शंकरपुर थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सूरज उर्फ उमेश निवासी ग्राम शंकरपुर थाना व जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सरोज, (चौकी प्रभारी ओयल) थाना खीरी
2. उ0नि0 दशरथ यादव
3. हे0का0 कृष्ण कुमार शर्मा
4. का0 शिवा सिंह

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र कल्लूराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.02.2023 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 40/2023 धारा 354/452 भादवि0 व 7/8 पॉक्सों एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त छोटू पुत्र कल्लूराम निवासी ग्राम भूलनपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

छोटू पुत्र कल्लूराम निवासी ग्राम भूलनपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना नीमगांव
2. हे0का0 संजय कुमार यादव

<u>थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त मो0 अली उर्फ कबरा को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 21.02.2023 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 अली उर्फ कबरा पुत्र अनवर अली निवासी महराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना धौरहरा पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण</u>

1. थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अ0सं0 40/23 धारा 354/452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र कल्लूराम निवासी भूलनपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ0सं0 1429/22 धारा 323/504/376/406 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रदीप वर्मा पुत्र नेतराम निवासी हाथीपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 983/22 धारा 498A/304B भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. रतीराम पुत्र कुजन अवस्थी, 2. रामरती पत्नी रतीराम निवासीगण दरेरी थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

4. थाना मितौली पुलिस द्वारा अ0सं0 2352/01 धारा 5/25 A Act में वारण्टी अभियुक्त जयली पुत्र हरद्वारी निवासी ललझवा थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 261 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **261 लीटर** अवैध कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **11 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।